

हुकम
अहकाम
जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

हजारी पंड विन्दू
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
वार 228/2018 (2018/00189)

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

31/2/23 अखिवस्ता वारी उवास्तित । तहसील
चिन्मैडाह से जरिर फ़ासक । राजन
2023/82 रिंक 02.02.2023 से
मौबा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होकर
संलग्न पत्रावली है, रेकार्ड पर लिया
जाता है। बहस अखिवस्ता वारी
शुनी गई। अखिवस्ता वारी ने निवेदन
किया कि प्राप्त विभाजन प्रस्ताव
के आधार पर अन्तिम डिस्त्री जारी
किए जाने के आदेश उदान करावे।
हमने पत्रावली का इन्वेलोकन। अन्तिम
का अखिवस्ता वारी के निवेदन
पर गहनता से मगन किया। प्राप्त विभाजन
प्रस्ताव प्राथमिक डिस्त्री के अन्तर्गत है।
अतः वारी का वार पत्र वास्तु गाम
सावा तहसील चिन्मैडाह स्थित आराजी
खण्ड 785 रकबा 0.02, 786 रकबा 0.02
787 रकबा 1.16 बीता 3 कुल रकबा
1.2000 हे. हल्ब विभाजन प्रस्ताव
निम्नागुना विभाजन का अन्तिम डिस्त्री
किया जाता है :-

क्र. सं.	नाम श्रोतेदार	आ. नं.	रकबा	किसम	भाग
1-	हजारी पिता भूरा चम्पार सा. पायरी श्रोतेदार	787 1	0.38	बागुनी 3	0.76
	कीता	1	0.38		0.76

(राधचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चिन्मैडाह

मजिस्ट्रेट
चिन्मैडाह

तारीख
हुक्म

हुक्म या कायवाही मय इनामदार सजा

ने
अह
हुक्म
में

क्र. सं.	नाम खतेदार	क्र. सं.	रकबा	किलो मी	मजाल
2	चीलीबाई पत्नी खोला चमार 1/9, पार्वती पिता रतन चमार 1/12 चिन्टू पिता शम्भुलाल ना. बा. स. माता लाली चमार 1/36, भैरुलाल पिता खोला चमार 1/9 आयुलाल पिता रतन 1/12 रुकमणी पत्नी रतन चमार 1/12 लाली पत्नी शम्भुलाल चमार 1/36 श्यामलाल पिता खोला चमार 1/9 सतेशकुमारी पिता शम्भुलाल ना. बा. स. प. माता लाली 1/36 हजारी पिता भूरा चमार सा. पायरी 1/3	785 786	0.02 0.02	डा. चा. खड्डा	— —
	कीता	2	0.04		—
3	चीलीबाई पत्नी खोला 1/6, पार्वती पिता रतन 1/8, चिन्टू पिता शम्भुलाल ना. बा. स. प. माता लाली 1/24 भैरुलाल पिता खोला 1/6, आयुलाल पिता पिता रतन 1/8, रुकमणी पत्नी रतन 1/8, लाली पत्नी शम्भुलाल 1/24 श्यामलाल पिता खोला 1/6 सतेशकुमारी पिता शम्भुलाल ना. बा. स. प. माता लाली 1/24 चमार सा. देह. शतेश.	787	0.78	बायनी 3	1.56
	कीता	1	0.78		1.56


रामचन्द्र खटीक
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

मजाल
रामचन्द्र खटीक
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

हजारी पंड विन्डू
हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
वॉर 228/2018 (2018/00189)

नम्बर
अह
हुकम
में

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में
~~इजमालदशमर~~ किया जावे। विभाजन
पुस्तक के साथ प्राप्त नम्बरा ड्रॉप
डिप्टी का पार्टे रहेगा। निवीच लिखाया
जाकर सरे इजमाल सुमाचा गया
फाफली फौजल सुमार होकर नम्बर
से कम हो।


(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

मूल वाद मे डिक्री

Aul

(आदेश 2 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास
श्री रामचन्द्र खटीक उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.हजारी पिता भूरा चमार नि.पायरी तह. निम्बाहेडा व जिला चित्तौडगढ

-वादी

बनाम

- 1.पिन्दु पिता स्व.शंभूलाल ना.बा.जरिए माता लाली पत्नी शंभूलाल चमार नि.सावा तह.
चित्तौडगढ
- 2.संतरा कुमारी पिता स्व.शंभूलाल ना.बा.जरिए माता लाली पत्नी शंभूलाल चमार नि.
सावा तह.चित्तौडगढ
- 3.मु.लाली बेवा शम्भुलाल चमार नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 4.माधुलाल पिता रतन चमार नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 5.पार्वती पुत्री रतन चमार नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 6.मु.रुकमणी बेवा रतन चमार नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 7.श्यामलाल पिता सोला चमार नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 8.भेरूलाल पिता सोला चमार नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 9.मु.घीसीबाई बेवा सोला चमार नि.सावा तह.व जिला चित्तौडगढ
- 10.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ

-प्रतिवादीगण

प्र.स. 228/2018 (GCMS 2018/00189)

वादपत्र अर्न्तगत धारा 53 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री. भेरूलाल गुर्जर की, और प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री - की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र बाबत् ग्राम सावा तहसीलद चित्तौडगढ स्थित आराजी संख्या 785 रकबा 0.02, 786 रकबा 0.02 , 787 रकबा 1.16 कीता 3 कुल रकबा 1.2000 हे. हस्ब विभाजन प्रस्ताव निम्नानुसार विभाजन का अन्तिम डिक्री किया जाता है :-

क्र. स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1.	हजारी पिता भूरा चमार सा. पायरी खातेदार	787/1	0.38	बारानी 3	0.76
	कीता	1	0.38		0.76
2.	घीसीबाई पत्नी सोला चमार 1/9 पार्वती पिता रतन चमार 1/12 पिन्दु पिता शम्भुलाल ना.बा.स. माता लाली चमार 1/36, भेरूलाल पिता सोला चमार 1/9	785 786	0.02 0.02	आ.चा. खड्डा	- -



(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ

243

	माधुलाल पिता रतन 1/12 रूकमणी पत्नी रतन चमार 1/12 लाली पत्नी शम्भुलाल चमार 1/36 श्यामलाल पिता सोला चमार 1/9 संतरा कुमारी पिता शम्भुलाल ना.बा.स.प. माता लाली 1/36 हजारी पिता भूरा चमार सा. पायरी 1/3				
	कीता	2	0.04		—
3.	घीसीबाई पत्नी सोला 1/6, पार्वती पिता रतन 1/8, पिन्दू पिता शंभुलाल ना.बा.स.प. माता लाली 1/24 भैरूलाल पिता सोला 1/6, माधुलाल पिता रतन 1/8, रूकमणी पत्नी रतन 1/8, लाली पत्नी शम्भुलाल 1/24 श्यामलाल पिता सोला 1/6 संतरा कुमारी पिता शम्भुलाल ना.बा.स.प. माता लाली 1/24 चमार सा. देह. खाते.	787 मी.	0.78	बारांनी 3	1.56
	कीता	1	0.78		1.56


उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। विभाजन प्रस्ताव के साथ नक्शा ट्रेस डिक्री का पार्ट रहेगा। इस वाद के खर्च - प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा - को दी जावे। यह आज दिनांक 31.07.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।



(रामचन्द्र खटीकर)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़



जम्हा देम मोप्य - सावा A44
पं.स. - सावा
हल्ली - चित्तौडगढ



सही प्रतिलिपी
8/3/23
पटवारी हल्ली... सावा...
पं.स. बस्ती, जिला-चित्तौडगढ